झारखण्ड
JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651–2400850

सूचना

वन एवं पर्यावरण विभाग झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– पर्या0 प्रदू0 / 43 / 2000–2218, दिनांक 04.05.2007 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 26 एवं 27 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के द्वारा पारित आदेश से असन्तुष्ट व्यक्ति, संस्था की सुनवाई हेतु अपीलीय प्राधिकार निम्न रूप से गठित है:–

1.	सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड सरकार, राँची	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड राँची	–	सदस्य
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची	–	सदस्य

अतः झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के द्वारा उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत पारित आदेश से प्रभावित व्यक्ति / संस्था उक्त अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

(संजय कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव